मगाराम बनाम लालाराम
राजस्व आवेदन– 60/2023
निर्णय दिनांक 10.07.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी–बालोतरा

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 60/2023

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थी

1. मगाराम पुत्र शोभाराम जाति सुथार निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1. लालाराम पुत्र ठाकराराम निवासी कोशलू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
2. नेशनल हाईवे बजरिए प्रोजेक्ट अधिकारी सिणधरी जिला बाड़मेर
3. सहायक अभियंता महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग सिणधरी जिला बालोतरा
4. पुरोदेवी पत्नी मगाराम
5. गोपाराम पुत्र मगाराम जातियान सुथार निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू [illegible] अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेख[illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:32 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विश्नोई , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश

दिनांक 10.07.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खेत मौजा नाकोडा के खेत खसरा संख्या 36 / 24 रकबा 0.1618 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा नाकोडा के खेत खसरा संख्या 36 / 24 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा नाकोडा के खेत खसरा संख्या 36 / 24 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा नाकोडा के खेत खसरा संख्या 36 / 24 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा नाकोडा के खेत खसरा संख्या 36 / 24 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न [illegible] भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है [illegible] प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:32 IST
Reason: SelfAttested

सा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन
।

ो का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नाकोडा के खेत खसरा संख्या
0.1618 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी
हसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व
को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख
की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त
ामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 10.07.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:32 IST
Reason: SelfAttested